



Office of the Controller of Examinations

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY)

JOBNER-303329 Distt. Jaipur (Raj.)

No. F. COE/ ()/SKNAU/2016/122-129

Date: 20/05/16

अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्य हेतु जयपुर व विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में जाने के लिये बोलेरो/टवेरा/इनोवा बंद बॉडी वाली 5 से 7 सवारियों के लिये टैक्सी वाहन की आवश्यकता है।

इस कार्य हेतु टैक्सी वाहन मालिक/फर्म अपने वाहन का किराया राशि प्रति किलोमीटर की दर से 200 कि.मी. या अधिक दूरी तक प्रति दिन की राशि सहित बन्द लिफाफे में निविदायें दिनांक 26.05.2016 को 10.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, जोबनेर को भेजने का श्रम करें। निविदा उसी दिन प्रातः 11.00 बजे तक निविदा समिति व उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में खोली जायेगी। यह निविदा एक साल तक प्रभावी रहेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत वाहन मालिक को वाहन की आवश्यकता होने पर सामान्यतः एक दिन पूर्व या आकस्मिक सूचना कर दी जायेगी जिसके तहत वाहन मालिक को वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

शर्तें :-

1. निविदा बतौर धरोहर राशि रुपये 2000/- जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. वाहन का किराया बिल पास होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
3. वाहन से संबंधित सभी कर (टोल टैक्स, पार्किंग एवं अन्य खर्च) टैक्सी वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे।
4. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
7. वाहन का ऑल राजस्थान टैक्सी परमिट होना आवश्यक है।
8. वाहन मालिक को एसी व नॉन एसी दोनों का किराया प्रति किलोमीटर अलग-अलग देना होगा।
9. वाहन का टैक्सी परमिट व चालक का लाइसेंस होना आवश्यक है।
10. वाहन वर्ष 2008 के बाद का पंजीकृत होना आवश्यक है।
11. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी घटना की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिये वाहन मालिक ही पूर्ण जिम्मेदार होगा।
12. आर.टी.ओ. संबंधित किसी भी तरह के खर्च वाहन मालिक को स्वयं वहन करना होगा।
13. निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
14. टूर पर जाने से पूर्व गन्तव्य बताना अनिवार्य नहीं है। साथ ही इस सूचना को गोपनीय रखा जावे।

ह

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. श्रीमान कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. संयोजक निविदा कमेटी/सदस्यगण, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. मैसर्स/श्री

30 05 16

परीक्षा नियंत्रक